भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20AB 049596

यह जनरल स्टाम्प पेपर नवशक्ति विकास संस्थान
ग्राम पो० - रामपुरगढ़
जिला देवरिया फाइल नं० ......
.... के नाम सकल है

सहायक रजिस्ट्रार
29/3/11

Principal
Srijan College of Pharmacy
Rampurgarh (Rampur Khas) Deoria

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु. 10

Rs. 10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20AB 049599

यह जनरल स्टाप पेपर नवशक्ति विकास संस्थान ग्राम/पो० – रामपुरगढ़ जिला देवरिया क्र रजि न० जी० 54313 नियमावली के साथ संलग्न है

Principal
Srijan College of Pharmacy
Rampurgarh (Rampur Khas) Deoria

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर
23/3/11

Scanned with CamScanner

1

स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम : नवतप्पी विकास संस्थान
2. संस्था का पूरा पता : ग्राम व पोस्ट – रामपुरगढ़, तहसील → देवरिया
   जिला–देवरिया, उ0प्र0
   पिन कोड–274408
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य :

1– युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिए प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थायें खोलना।

2– राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए जन जागृति उत्पन्न करना।

3– छात्र/छात्राओं को साहित्यिक, टेक्निकल, रचनात्मक, वैज्ञानिक, ~~वाणिज्य व्यवसायिक, चिकित्सा एवं उद्योग सम्बन्धी शिक्षा देना।~~

4– शिक्षा बोर्ड एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अधिकृत कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, शिक्षकप्रशिक्षण, आई0टी0आई0 पालीटेक्निक इत्यादि की शिक्षा देना। बौद्धिक विकास हेतु वाचनालय एवं पुस्तकालय खोलना।

5– धार्मिक निष्ठा एवं राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाना।

6– परिवार कल्याण, जनकल्याण एवं परिवार नियोजन के लिए कार्यक्रमों का प्रचार एवं उसे उपयोगी बनाने के लिए प्रदेश एवं केन्द्र सरकार से सहयोग प्राप्त कर इस सम्बन्ध में विभिन्न कार्यक्रम चलाना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

Principal
Srijan College of Pharmacy
Rampurgarh (Rampur Khas) Deoria

Scanned with CamScanner

7— वायु ध्वनि, जल एवं वातावरण प्रदूषण नियंत्रण का प्रदेश एवं केन्द्र सरकार से सहयोग प्राप्त कर कार्यक्रम चलाना।

8— विकलांग बच्चों के कल्याण एवं शिक्षा की विशेष व्यवस्था करना, प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना। इसके लिए प्रदेश एवं केन्द्र सरकार से सहयोग प्राप्त कर विभिन्न कार्यक्रम चलाना।

9— सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य का कार्यक्रम सरकारी एवं गैर सरकारी एजेन्सियों के सहयोग से चलाना। शिक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा कुटीर, शिल्प, हरिजन कल्याण, कृषि सुधार तथा वैकल्पिक उर्जा के क्षेत्र में कार्यक्रम चलाना।

X 10— ~~संस्था के उद्देश्य पूर्ति के लिए चन्दा, दान, उपहार एवं आर्थिक सहायता प्राप्त कर चल, अचल सम्पत्ति, जमीन, जायदाद इत्यादि प्राप्त करना।~~

~~उ०प्र० खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी कमीशन तथा विभिन्न वित्तीय एजेन्सियों, प्रदेश एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं समाजसेवियों से वित्तीय सहायता प्राप्त करना एवं उनके कार्यक्रमों को संचालित करना।~~

12— श्रम के प्रति आदर का भाव पैदा करना तथा युवाओं को स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना।

13— परिवारकल्याण, टीकाकरण, महिलाशिक्षा, वृक्षारोपण, निरक्षरता उन्मूलन आदि कार्यक्रम सरकारी सहयोग से संचालित करना।

14— मद्य निषेध, कुष्ठ निवारण, दहेज उन्मूलन, पल्सपोलियो, रक्तदान, इत्यादि राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित कराना।

15— मत्स्य पालन, अन्धतानिवारण, विकलांगता सम्बन्धी कार्यक्रम संचालित कराना।

सुनीता राव
Rajesh Pratap Rao
Amlesh Kumar
Anil Kumar Singh
धनंजय राय
प्रवीण कुमार सिंह
चन्द्रभूषण सिंह
राजेश कुमार सिंह
D. N. Singh
Ajeet Kumar Singh

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

Principal
Srijan College of Pharmacy
Rampurgarh (Rampur Khas) Deoria

Scanned with CamScanner

5— प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पिता का नाम, पता, व्यवसाय व पद जिनको संस्था कें नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया ।

क्र0 सं0	नाम / पिता का नाम	पता	व्यवसाय	पद
1.	श्री राजेन्द्र राव पुत्र स्व0 भोला राव	ग्राम+पो0 रामपुर गढ़ (रामपुर खास), जिला—देवरिया	कृषि	अध्यक्ष
2.	अम्बरीश कुमार राव स्व0 रमेश चन्द्र राय	ग्राम+पो0 रामपुर गढ़ (रामपुर खास), जिला—देवरिया	नौकरी	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती सुनिता राव पत्नी डा0 जितेन्द्र प्रताप राव	ग्राम+पो0 रामपुर गढ़ (रामपुर खास), जिला—देवरिया	समाजसेवी	मंत्री
4.	राजेश प्रताप राव पुत्र नागेन्द्र राव	ग्राम—सोनहुला रामनगर पो0 रामपुर गढ़, जनपद—देवरिया	समाजसेवी	सदस्य
5.	अरविन्द सिंह पुत्र जयराम सिंह	ग्रा0+पो0 सोनाडीह जिला—बलिया	अध्यापक	सदस्य
6.	प्रवीण कुमार सिंह पुत्र डा0 कृष्ण पाल सिंह	खरहवा इनार रसड़ा जिला—बलिया	समाजसेवी	सदस्य
7.	अनिल कुमार सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह	ग्रा0—सोनहुला रामनगर पो0—रामपुरगढ़ जिला—देवरिया	समाजसेवी	सदस्य
[illegible]	धनंजय राय पुत्र गोविन्द राय	ग्रा0+पो0 तमकुही जिला—कुशीनगर	समाजसेवी	सदस्य
9.	ध्रुव नारायन सिंह पुत्र रामसेर सिंह	ग्रा0+पो0 कठघरा जिला—बलिया	समाजसेवी	सदस्य
10.	राजेश कुमार सिंह पुत्र स्व0 राधाकृष्ण सिंह	ग्रा0—तेतरिया, पो0 धुरिया जिला—कुशीनगर	समाजसेवी	सदस्य
11.	चन्द्रभूषण सिंह पुत्र स्व0 प्रेम नारायण सिंह	ग्रा0 परवासेमरा पो0 रामपुरगढ़, जिला—देवरिया	अध्यापक	सदस्य
12.	अजीत कुमार सिंह पुत्र विजय प्रताप सिंह	ग्रा0 माधवोपुर म0नं0 11 जिला—बलिया	समाजसेवी	सदस्य

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था की उपर्युक्त स्मृति पत्र के अनुसार सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21 सन् 1860 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं।

दिनांक : 1-3-11 Anil Kumar Singh

धनंजय राय

हस्ताक्षर

सुनिता राव

सत्य — प्रतिलिपि

प्रवीण कुमार सिंह

चन्द्रभूषण सिंह

Rajesh Pratap Rao

Principal
Srijan College of Pharmacy
Rampurgarh (Rampur Khas) Deoria

प्रतिलिपि कर्ता

मिलान कर्ता

राजेश कुमार सिंह

D. N. Singh

23/3/11

Scanned with CamScanner

नियमावली

1. संस्था का नाम : नवतप्पी विकास संस्थान
2. संस्था का पूरा पता : ग्राम व पोस्ट – रामपुरगढ़, जिला–देवरिया, उ०प्र० पिन कोड–274408
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. **संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों का वर्ग :–**

अ– संस्थापक सदस्य वह होगें जो संस्था को प्रारम्भ कर रहे हैं। उनकी सदस्यता के लिए इक्यावन हजाररूपया या इससे अधिक की चल–अचल सम्पत्ति दान में देना होगा। अध्यक्ष का निर्वाचन इसी श्रेणी से किया जायेगा।

ब– आजीवन सदस्य वह होगें जो संस्था को पच्चीस हजार रूपया या इससे अधिक की चल या अचल सम्पत्ति दान स्वरूप देगें। इसी श्रेणी से प्रबन्धक एवं सदस्य चुने जायेगें।

स– साधारण सदस्य वह होगें जो निस्वार्थ भाव से सेवा करेगें तथा पांच हजार रूपया प्रति तीसरे वर्ष सदस्यता शुल्क जमा करेगें। अनवरत दो टर्म यानी 06 वर्ष सदस्यता प्राप्त सदस्य ही चुनाव प्रक्रिया में भाग लेगें एवं मताधिकार के लिए अर्ह होगें।

द– संस्था के प्रति निष्ठा, सच्चाई सदस्यों के लिए आवश्यक प्रतिबन्ध होगा। नयी सदस्यता साधारण सभा के अनुमति से प्रबन्धक/ मंत्री द्वारा दी जायेगी जिसका अनुमोदन कार्यकारिणी द्वारा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5. **सदस्यता की समाप्ति**

मृत्यु होने, पागल या दिवालिया, बेईमान, कोढ़ी, संस्था के विरूद्ध कार्य करने वाले, नैतिक अपराध के दोषी त्याग पत्र देने, या साधारण सभा से अविश्वास प्रस्ताव पास होने, लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने, सदस्यता शुल्क न देने वाले व्यक्ति सदस्यता से वंचित समझे जायेगें।

सहायक रजिस्ट्रार

Principal
Srijan College of Pharmacy
Rampurgarh (Rampur Khas) Deoria

Scanned with CamScanner

6. संस्था के अंग : 1— साधारण सभा 2— कार्यकारिणी समिति

7. साधारण सभा

(अ) गठन : संस्थापक, आजीवन एवं साधारण सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा। साधारण सभा के लिए एक सभापति, एक उपसभापति एवं एक मंत्री का चुनाव किया जायेगा जो साधारण सभा के प्रति उत्तरदायी होगें। साधारण सभा की बैठक सभापति के अनुमति से मंत्री द्वारा बुलायी जायेगी। साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता सभापति करेगें तथा मंत्री द्वारा सभा का संचालन एवं कार्यवाही का लेखन किया जायेगा।

(ब) बैठकें : साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी। विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर कार्यकारिणी समिति के संस्तुति पर किसी समय बुलायी जा सकती है।

(स) सूचना अवधि : साधारण सभा के सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व सभी सदस्यों को लिखित सूचना के आधार पर दीं जायेगी। स्थगित बैठक बुलाने के लिए सूचना एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी।

(द) गणपूर्ति : साधारण सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों की 2/3 की उपस्थिति पर मान्य होगी। स्थगित बैठक बुलाने पर 1/3 की उपस्थिति मान्य होगी।

(य) वार्षिक अधिवेशन : साधारण सभा का वार्षिक अधिवेंशन वर्ष में एक बार होगा। उसकी तिथि कार्यकारिणी समिति बहुमत से तय करेगी। आकस्मिक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।

(र) <u>साधारण सभा के कर्तव्य</u>

(अ) साधारण सभा प्रति पांचवें वर्ष कार्यकारिणी समिति का चुनाव बहुमत के आधार पर करेगी।

(ब) गत वर्ष के बजट की समीक्षा तथा चालू वर्ष के लिए प्रस्तुत बजट की स्वीकृति देगी।

(स) कार्यकारिणी समिति द्वारा उठायी गयी आपत्तियों पर निर्णर देगी।

Rajesh Pratap Rao
Ambrish Kumar Rao
Arvind Kumar Singh
P.N Singh
Ajeet Kumar Singh

Principal
Srijan College of Pharmacy
Rampurgarh (Rampur Khas) Deoria

(द) कार्यकारिणी के कार्य की देखभाल एवं वार्षिक रिपोर्ट पर विचार।

(य) समयानुकूल विधान में संशोधन, संस्था की प्रगति का सिंहावलोकन, आर्थिक पहलू, विस्तार, संगठन इत्यादि पर निर्णय लेना।

(र) भावी योजनाओं की स्वीकृति, वार्षिक रिपोर्ट पास करना, कार्यकारिणी की नियुक्ति एवं आडिटर की नियुक्ति करना।

8. **कार्यकारिणी समिति**

(अ) गठन : साधारण सभा के द्वारा गठन के आधार पर कार्यकारिणी समिति का गठन किया जायेगा। संस्थापक एवं आजीवन सदस्यों में से ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, सदस्य कार्यकारिणी निर्वाचित किये जायेंगे।

(ब) बैठकें : कार्यकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में तीन बार होगी तथा विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

(स) सूचना अवधि : कार्यकारिणी समिति के सामान्य बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व तथा आवश्यक बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित सूचना के आधार पर दी जायेगी।

(द) गणपूर्ति : कार्यकारिणी समिति की गणपूर्ति सम्पूर्ण सदस्यों के 2/3 की उपस्थिति के आधार पर होगी। आवश्यक बैठक के लिए 1/2 की उपस्थिति आवश्यक होगी।

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति : कार्यकारिणी समिति कोई भी रिक्त स्थान होने की दशा में उसकी पूर्ति कार्यकारिणी समिति के बहुमत के आधार पर शेष अवधि के लिए साधारण सभा में से की जायेगी।

(र) **कार्यकारिणी समिति के कर्तव्य :**

1. संस्था के कार्यों का सुचारू रूप से संचालन एवं प्रगति का आवश्यक कार्य करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना, लेखा जोखा रखना, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
3. संस्था के प्रगति के लिए चल-अचल सम्पत्ति अर्जित करना एवं उसकी व्यवस्था करना।

Scanned with CamScanner

4. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुमोदन, सेवापूर्ति, वेतनवृद्धि एवं आर्थिक अधिकार निश्चित करना।

5. अध्यक्ष एवं मंत्री के दिये गये आदेश की अपील सुनना समीक्षा करना एवं निर्णय देना।

(ल) कार्यकाल : कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। तत्पश्चात साधारण सभा द्वारा नयी कार्यकारिणी का चुनाव किया जायेगा।

9. **कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :**

(अ) अध्यक्ष : कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाने के लिए मंत्री को आदेश देना। बैठक की अध्यक्षता करना, अन्य अध्यक्षीय अधिकारों का प्रयोग करना, बराबर मत होने की स्थिति में निर्णायक मत देना। संस्था के हित का ध्यान रखना।

(ब) उपाध्यक्ष : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समस्त अध्यक्षीय अधिकारों का उपयोग करना।

(स) मंत्री

1. संस्था के प्राचार्य, शिक्षक एवं कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, अवकाश स्वीकृति, कार्यकारिणी की राय से करना।

पत्र व्यवहार करना, संस्था के विरूद्ध अदालती कार्यवाही देखना, संस्था के हितार्थ समस्त अनुदान, दान, चन्दा, प्राप्त करना, उसकी रसीदें देना तथा अध्यक्ष की अनुमति से बैठकें बुलाना।

3. संस्था के प्रसार, अनुशासन, विकास एवं कार्यकारिणी के कार्यों का निरीक्षण कर पारितोषिक या दण्ड देना।

4. आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना। संस्था का धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में अपने हस्ताक्षर से रखना और निकाल कर अध्यक्ष की अनुमति से खर्च करना। विल, वाउचर को चेक कर स्वीकृत करना, भुगतान करना, खर्च के लिए अधिकतम पाँच हजार रूपया अपने पास रखना।

5. चल–अचल सम्पत्ति खरीदना एवं उसकी व्यवस्था करना।

Rajesh Pratap Rao
Amrish Kumar Rao
Anil Kumar Singh
D.N. Singh
Arvind Kumar Singh

सहायक निबंधक, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, गोरखपुर

Principal
Srijan College of Pharmacy
Rampurgarh (Rampur Khas) Deoria